

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3585

दिनांक : 28/8/14


आदेश

सां.आ. संख्या - 91 /14 राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)() Rules/DLB/14 दिनांक 11 जुलाई 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 जारी किए गए हैं। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 के द्वारा अध्याय IV को प्रतिस्थापित करते हुए अध्यक्षीय पदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति के स्थान पर अप्रत्यक्ष रीति से कराने हेतु प्रावधान लागू किए गए हैं।

अतः पूर्व में अध्यक्षीय पदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होने पर आयोग द्वारा इन निर्वाचनों हेतु तत्समय जारी किए गए निम्नांकित आदेशों को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है:-

1. आदेश क्रमांक प.4(2)(1)पंचु/नपा/94/4032 दिनांक 23.10.2010 (सां. आ. सं. 50/2009)
2. आदेश क्रमांक प.4(2)(1)नपा/रानिआ/03/4053 दिनांक 24.10.2009 (सां. आ. सं. 51/2009)
3. आदेश क्रमांक प.4(1)(7)पंचु/नपा/09/4082 दिनांक 24.10.2009
4. आदेश क्रमांक प.4(1)(2)नपा/रानिआ/07/4089 दिनांक 24.10.2009
5. आदेश क्रमांक प.4(1)(2)पंचु/नपा/09/5330 दिनांक 17.11.2009

आज्ञा से,


(सत्यप्रकाश बसवोला) 28/8/14

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3586-90

दिनांक : 28/8/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
3. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक भाग 6(क) में तत्काल प्रकाशित करें।


(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर